

51

PBR/नगरानी/गुना/शु० २१०/२०१७/२०५५
माननीय न्यायालय, राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

श्री सखत सिंह प्लाट नं० ७०

प्र० क्र०/17 निगरानी

द्वारा आज दि. 03/07/17 को
पुत्र

श्रीरामसिंह पुत्र केरसिंह आयु 53 वर्ष निवासी ग्राम कालापहाड़
तहसील चोंचौड़ा जिला गुना म० प्र०आवेदक

ब्लॉक ऑफ कोर्ट 3-7-17
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

विरुद्ध

1. जितेन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्रसिंह कृषकबरखेड़ा निवासी कालापहाड़ तहसील चोंचौड़ा जिला गुना म० प्र०
2. मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्राम पटवारी तहसील चोंचौड़ाअनावदेकगण

प्रकरण क्रमांक 004 अ-3/2016-17 तहसील चोंचौड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 25/05/17 से परिवेदित होकर यह निगरानी पुनरिक्षण अन्तर्गत धारा 50 भूराजस्व संहिता


03/07/17
S. Singh Dhasani

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 2054/12

जिला गुना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमापकों आदि के हस्ताक्षर
11-7-2017	<p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 25-5-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । उक्त आदेशिका से अभी तहसीलदार द्वारा केवल प्रकरण दर्ज किया गया है और प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही होना है, अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया प्रीमैच्योर होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p> अध्यक्ष</p>